MR. SPEAKER: That is a different thing.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: But in the same statement he said it, I want to know whether he is going to take any stringent action in that regard.

MR. SPEAKER: That is not a point of order.

13.04 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED BAN ON EXPORT OF ONIONS.

श्री धर्म सिंह भाई पटेल (पोरबन्दर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं लोक सभा के नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

प्याज (ओनियन) की परदेशो मे निर्यात पर पाबन्दी लगाने से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के प्याज पैदा करने वाले किसानो को बहुत नुकसान हो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश मे और इन म विशष कर उपलेटा, भायावदर, जामजोधपुर, धोराजी, जामकण्डोरणा, कुत्तियाणा, राणावाव, मांगरोल, पोरबन्दर, माणावदर, बंथली, लालपुर वगैरह तालुकाओ मे प्याज की बडी फसल हुई है । ये प्याज पैदा करने वाले किसान को 20 किलोग्राम प्याज पर करीब 4 रुपये की लागत तो-खर्च होती है ।

अब प्याज बडे पैमाने पर बाजार मे आ रही है । अब प्याज ढ़ाई और तीन रुपये के भाव से प्रति 20 किलोग्राम बिक रही है और प्रति दिन भाव कम हो रहे हैं, इस से प्याज पैदा करने वाले किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है । इस का मूल कारण यह कि भारत सरकार ने प्याज की प्रदेशों मे निर्यात के लिये पाबन्दी लगाई हुई है । इस वर्ष सिर्फ 10 हजार टन प्याज की निर्यात मंजूरी दी गई, है, यह बहुत कम है, इसलिये प्याज उत्पादन करने वाले किसानों की ओर से और मेरी ओर से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से प्रार्थना है कि प्याज की बड़े पैमाने पर परदेशो मे निर्यात करने की मंजूरी तुरन्त दे कर प्याज पैदा करने वाले गुजरात, सौराष्ट्र और सारे देश के किसानों की रक्षा करे ।

प्याज एक नाजुक, कोमल सब्जी है । इस का स्टाक बहुत दिनो तक किसान नही रख सकते हैं । विदेशो मे भारत की और विशेषकर गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश की प्याज की बहुत मांग है । इसलिये इस संक्षिप्त वक्तव्य के अन्त में मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे विदेशो मे प्याज निर्यात करने के लिये तुरन्त स्वीकृति दे :

(ii) SERVICE CONDITIONS OF ASSISTANT ENGINEERS ON DEPUTATION FROM C.P.W.D. TO P. & T. DEPARTMENT

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं भारत सरकार और सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूण मामला रखने जा रहा हू । 1963 मे सी. पी. डब्ल्यू. डी. के बहुत से एस्सिटेंट इन्जीनियर्स को पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट मे डेपुटेशन पर भेजा गया था । उन्हे वहां पर गये हुए 15 साल के लगभग हो रहे है इस बीच मै न उन्हे कोई प्रमोशन दिया गया है और न ही कोई डेपुटेशन एलाउन्स दिया गया । इस से भी ज्यादा हालत तब खराब हुई–जब 1963 के बाद जिन लोगो को वहां भेजा गया, उन को डेपुटेशन एलाउन्स भी मिला और प्रोमोशन भी मिला ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगो का भाग्य अधर में लटका हुआ है । 1963 से लोग बिना किसी प्रोमोशन और बिना किसी एलाउंस के वहां पर काम कर रहे हैं । आज जब हम आम तौर पर इस तरह की शिकायत करते हैं कि हमारे आफिसर्स काम

[श्री मनोहर लाल]

नहीं करते हैं या अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से अन्जाम नहीं दे रहेहैं। वहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आज तक इन लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया, किसी प्रकार का डपुटेशन एलाउन्स क्यों नही दिया गया।

मैं संचार मंत्री से भी आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। पिछले 15 साल से इन का भाग्य अधर में क्यों लटका हुआ है, इन को प्रोमोशन और भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस की तरफ ध्यान दिया जाय कि जो लोग 15 साल से बराबर बिना किसी प्रमोशन और भत्ते के काम कर रहेहैं, उन को प्रोमोशन मिले और डेपुटेशन एलाउन्स भी दिया जाय, जिस से यह अनियमितता समाप्त हो।

13.10 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS 1978-79—*Contd.*

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER. The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Health and Family Welfare.

DR. SUSHILA NAYAR: Absent. Shri Jagdambi Prasad Yadav will intervene.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : *माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने* भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस विभाग के कुछ कार्यकलापों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रीमान्, अभी तक जो अपने देश में स्वास्थ्य की परिस्थिति रही है, उस को यदि एक शब्द में वर्णित किया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि अब तक हमारे स्वास्थ्य की योजना शहरोन्मुखी रही है। इस सरकार ने इस में परिवर्तन ला कर इस योजना को ग्रामोन्मुखी बनाया है। श्रीमान्, मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हमारे देश ी स्वास्थ्य योजना के लिये 1977–78 में 83.28 करोड़ रुपये दिये गये थे जब कि 1978–79 में 146.48 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि इस में 75.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह खर्च होगा विशेष कर ग्रामीण अन्चलों पर हमारी स्वास्थ्य योजना पर होने वाले खर्च में से हम काफी बड़ी राशि ग्राम स्वास्थ्य योजना पर, मलेरिया पर और भारीय चिकित्सा पद्धति पर खर्च करने जा रहे है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योजना के संदर्भ में 70 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी।

इसी तरह से परिवार कल्याण से सम्बन्धित हमारी योजना है। गत वर्ष इस योजना पर 9818 करोड रुपये खर्च किये गये थ। सन् 78–79 में इस योजना के लिए हमने 110.93 करोड गये रखे हैं। श्रीमान्, इस योजना के अन्तर्गत भी अधिकांश राशि ग्रामीण अंचलों में खर्च की जाएगी खास करके मातृ सेवा और बच्चों के विकास जैसे कल्याण ये खर्च की जाएगी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में इस मद में भी 70 प्रतिशत से अधिक राशि बढ़ाई गयी है।

श्रीमान्, हमने अभी कहा है कि हमारी स्वास्थ्य योजना ग्रामोन्मुखी होगी जिस का थोड़ा सा मैं ने उल्लेख भी किया है। श्रीमान्, आज की गम्भीर समस्या जो है जिसने कि देश को चिंता में डाला हुआ है, वह है मलेरिया। श्रीमान् देश में मलेरिया साढ़े सात करोड़ लोगों को होता था। जब तक